प्रेषक,

धर्मेन्द्र कुमार पाठक,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-13 **लखनऊ : दिनांक : 09 अक्टूबर, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में तहसील/विकास खण्ड मुख्यालयों को 02 लेन से जोड़ने हेतु योजनान्तर्गत जनपद बहाराइच में 01 परियोजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-247 नि०/141.01नि0/25-26, दिनांक 16.06.2025 के संदर्भ में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि पं0 दीनदयालय उपाध्याय योजना के अन्तर्गत तहसील/ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गो से जोडे जाने हेतु मार्गो का निर्माण/चौडीकरण/सुदृढीकरण योजनान्तर्गत जनपद बहाराइच में विधान सभा बलहा के अन्तर्गत मिहींपुरवा ब्लाक, समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं रेलवे स्टेशन को परवानी गौढ़ी होते हुए एन0एच0-730 तक मार्ग (ग्रा0मा0) के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई-1.100 किमी0) की लागत रू0 289.35 लाख(रूपये दो करोड़ नवासी लाख पैंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए लागत के सापेक्ष रू0 43.40 लाख(रूपये तैंतालिस लाख चालीस हजार मात्र) को व्यय हेतु प्रथम किश्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-58 के पूंजी लेखान्तर्गत प्राविधानित धनराशि से निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र०सं०	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का विवरण	लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1.	बहाराइच, (प्रा0ख0)	जनपद बहाराइच में विधान सभा बलहा के अन्तर्गत मिहींपुरवा ब्लाक, समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं रेलवे स्टेशन को परवानी गौढ़ी होते हुए एन0एच0-730 तक मार्ग (ग्रा0मा0) के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य। (लम्बाई-1.100 किमी0)	289.35	43.40

<u>नियम व शर्तें/ प्रतिबन्ध</u> -

(1) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि परियोजनओं के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य विभागीय नियमों/मानकों के अंतर्गत है।

(2) प्रस्तावित निर्माण कार्यों हेतु जो भूमि प्रयुक्त की जायेगी, उसका पूर्णतः सरकारी/ लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में होना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रस्तावित निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार से किसानों की निजी कृषि भूमि का उपयोग उनकी सहमति प्राप्त किए बिना नही किया जायेगा। प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति, भूमि उपयोग के संबंध में किसानों की सहमति प्राप्त करने के बाद ही निर्गत की जायेगी। भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिशासी अभियंता की होगी। अगर भविष्य में भूमि संबंधी कोई देयता सृजित होती है तो उसके लिए संबंधित अधिशासी अभियंता को जिम्मेदार मानते हुए उनसे भू राजस्व की भॉति रिकवरी भी सुनिश्चित की जायेगी।

(4) प्रस्तावित कार्यों हेतु भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता की दशा में भूमि अधिग्रहण की अनुमन्यता व स्वीकृति संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा संगत व प्रभावी नियमों के अंतर्गत सुनिश्चित की जायेगी।

(5) प्रस्तावित परियोजनायें संबंधित कार्य हेतु निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण करती है, यह सुनिश्चित करने के उपरांत ही प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

(6) परियोजनाओं को शासनादेश निर्गत होने की तिथि से बैठक में निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण करना वा तथा भविष्य में परियोजनाओं का पुनरीक्षण न किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) परियोजनओं के संबंध में मुख्य अभियंता एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा अवगत कराये गये सभी बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) यूटिलिटी शिफटिंग होने की स्थिति में कार्य इस प्रकार सुनिश्चित किया जायेगा कि भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण व अन्य संबंधित कार्यों में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा यूटिलिटी शिफटिंग की पुनः आवश्यकता न हो। यूटिलिटी शिफटिंग के कार्यों के क्रियान्वयन से पूर्व लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने स्तर से यूटिलिटी शिफटिंग के प्रस्तावित कार्यों का Verification & Revalidation कराते हुए कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यूटिलिटी शिफटिंग संबंधी कार्यों हेतु भविष्य में कोई भी धनराशि देय नही होगी।

(9) यदि प्रयोजना प्रस्ताव में विद्युत विभाग से संबंधित यूटिलिटी शिफटिंग सम्मिलित है, तो निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व यूटिलिटी शिफटिंग का विद्युत विभाग से सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाये।

(10) विद्युत विभाग की यूटिलिटी शिफटिंग हेतु एन०एच०ए०आई० के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(11) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। इस संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(12) प्रायोजनाओं पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।

(13) समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तिया एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(14) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं आदि को यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं आदि को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(15) परियोजनाओं की पृथक-पृथक रूप से लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। अत परियोजनाओं पर पृथक-पृथक रूप से सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(16) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों का यथावत मानते हुये लागत का आंकलन किया गया है। उक्त विषयों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्यों आदि का प्राविधान करना, मार्ग आदि की लम्बाई एवं चौडाई अथवा क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टिया इस्तेमाल करना इत्यादि के संबंध में विभागीय व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(17) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(18) प्रायोजनान्तर्गत भूमि अध्याप्ति/भूमि अर्जन की कार्यवाही सी०ए०एल०ए० (Competent Authority for Land Acquisition) के माध्यम से न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(19) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथया भविष्य में परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, मुख्य अभियन्ता (मु०-1/सेतु), लो०नि०वि० व संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का होगा ऐसी दशा में लागत में बढ़ोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली संबंधित क्षेत्रीय अभियंताओं आदि के वेतन से भू-राजस्व की भांति की जायेगी।

(21) समिति द्वारा यह निर्देशित किया गया कि प्रस्तावित कार्यों के संबंध में प्रभावी समस्त संगत विभागीय नियमो/मानको/शासनादेशों इत्यादि का पूर्णतः अनुपालन व गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा प्रस्तुत परियोजनाओं से संबधित संगत सूचनाए विश्वकर्मा व सृष्टि पोर्टल पर अपडेट किये जाने अथवा पूर्व में ही स्वीकृत है, यह सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, मुख्य अभियन्ता (मु०-1/सेतु) एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

(22) कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व यथावश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभागों/ सस्थाओं से प्राप्त कर लिया जाये।

(23) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(24) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(25) स्वीकृत धनराशि का व्ययय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(26) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/ डाकघर में नही रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/ मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(27) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(28) अधिष्ठान व्यय/सेंटेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011, दिनांक 25 जनवरी, 2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रांसफर इन्ट्री क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(29) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(30) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

(31) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(32) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रकिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(33) प्रस्तावित कार्य का सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर दर्ज प्रोजेक्ट कोड संख्या- 202500003100997 है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 43,40,000 (रुपये तैंतालीस लाख चालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054033371347 प0 दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत तहसील/ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गो से जोडे जाने हेतु मार्गो का निर्माण/चौडीकरण/सुदृढीकरण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- ई-8-299/दस-2025-26, दिनांक 22 सितम्बर, 2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-55/2025/आई/1111063(1)/001-23-13-2025-ई-1967655, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(5) सम्बन्धित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी।
(6) मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(8) सम्बन्धित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(9) सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी।
(10) संबंधित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
(11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
(12) राज्य योजना आयोग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
(13) अधीक्षण अभियंता, नियोजन/ परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(14) लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/11/12 एवं 14, उत्तर प्रदेश शासन।
(15) नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लो०नि०वि०, उ०प्र० शासन।
(16) अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
उप सचिव।